अनुसूची 14—फारम सं0— 462

आदेश—पत्रक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 126)

आदेश पत्रक — ता0..... से ..... तक

जिला..... सं0.....सन् 16.....

केश का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख—सहित 3

न्यायालय, उप निदेशक, कल्याण, कोशी प्रमंडल, सहरसा

आँगनबाड़ी अपीलवाद सं0— 4—118/2013

अपीलार्थी — भारती देवी

बनाम

रेस्पोण्डेन्ट — राज्य सरकार व अन्य

—: **आदेश** :—

प्रश्नगत आँगनबाड़ी अपीलवाद निम्न न्यायालय जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल द्वारा पारित आदेश ज्ञापांक 1712/प्रो0 दिनांक 30.11.2012 के विरूद्ध इस न्याायालय में दायर किया गया है।

इस अपीलवाद में आरोप यह है कि महिला पर्यवेक्षिका सुश्री प्रगति आनंद त्रिवेणीगंज द्वारा दिनांक 28.6.2012 को 11:45 बजे राघोपुर परियोजना के केन्द्र संख्या 36 अरराहा पश्चिम के "बाल" पोषाहार निरीक्षण " किया गया । निरीक्षण के क्रम में केन्द्र संचालन में जो अनियमितताऐ पाई गई उसके संबंध में कार्यालय पत्रांक 1371/प्रो0 दिनांक 20.9.2012 द्वारा सेविका श्रीमती भारती देवी से स्पष्टीकरण पूछा गया। महिला पर्यवेक्षिका ने अपने निरीक्षण में जो खामिया पाई, उसने केन्द्र के निरीक्षण पंजी में दर्ज की जो निम्न है :— आज दिनांक 28.6.2012 को आँगनबाड़ी केन्द्र का निरीक्षण किया गया । सेविका/सहायिका उपस्थित। लाभुक बच्चों की संख्या 13 पाया गया। केन्द्र पर मीनु चार्ट, लाभुक की सूची एवं दिए जाने वाले अनाज की मात्रा प्रदर्शित नहीं। T.H.R पंजी में लाभुक के निशान के सामने लाभुक नाम अंकित नहीं है तथा

समाजिक, अंकेक्षण पंजी अद्यतन नहीं है।

उपर्युक्त अंकित खामियाँ के संबंध में सेविका ने निर्धारित तिथि 28.9.2012 को अपना स्पष्टीकरण जिला प्रोग्राम पदाधिकारी सुपौल के समक्ष रखा। अपने स्पष्टीकरण में सेविका ने अपना पक्ष रखा कि महिला पर्यवेक्षिका केन्द्र पर 12:10 बजे आई, जबकि उस समय केन्द्र बंद हो चुका था, और कुछ बच्चों को सहायिका द्वारा उनके घर पर पहुँचाया जा रहा था, उसी बच्चों को देखकर पर्यवेक्षिका महोदया ने अपने प्रतिवेदन में लिखा है। कि केन्द्र पर 13 बच्चें उपस्थित थे, उन्होंने यह भी अपने जबाब में लिखे है कि निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका श्रीमती सरीता कुमारी राय द्वारा किया गया था जबकि स्पष्टीकरण निर्गत नोटिस/ पत्रांक 1371 दिनांक 20.9.2012 में सुश्री प्रगति आनंद का नाम अंकित है। उन्होंने अपने जवाब में यह भी अंकित किए है कि जहाँ तक मीनु चार्ट एवं लाभुक वर्ग के चार्ट को बच्चों ने फाड़/नष्ट दिया है जो प्रदर्शित करने लायक नहीं रह गया है, बाद में कागज पर लिखकर दुसरे दिन उसे साट दिया गया है, जहाँ तक T.H.R वितरण में लाभुक को निर्धारित मात्रा मे कम देने की बात है, सरकार द्वारा जो राशि दी जाती है, वह बाजार मूल्य से कम रहता है , इस लिए T.H.R दिवस को लाभुक को कुछ कम मात्रा में अनाज वितरण किया जाता है।

उपर्युक्त के संबंध में सेविका ने स्पष्टीकरण जबाव, अपीलार्थी के अधिवक्ता/ सरकारी अधिवक्ता ने अपना – अपना पक्ष एवं जबाव कागजात प्रस्तुत किए। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बताया कि यह सही है कि दिनांक 28.6.2012 को 11:45 बजे प्रश्नगत केन्द्र का निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका सुश्री प्रगति आनंद ने किया जबकि सेविका ने अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किए है कि सुश्री प्रगति आनंद महिला पर्यवेक्षिका त्रिवेणीगंज ने दिनांक 28.6.2012 को केन्द्र का निरीक्षण नहीं किया गया था बल्कि निरीक्षण टिप्पणी के पृष्ट 29 पर निरीक्षण महिला पर्यवेक्षिका सरीता कुमारी राय द्वारा हस्ताक्षरित है, जो स्पष्ट पठनीय है एवं उसमें आगमन एवं प्रस्थान का समय अंकित नहीं की है, वजह यह है कि केन्द्र संचालन के समय समाप्ति के बाद महिला पर्यवेक्षिका 12:10 बजे केन्द्र पर गई है। (निरीक्षण टिप्पणी अवलोकनीय) उन्होंने यह भी बताया कि सुश्री प्रगति आनंद महिला पर्यवेक्षिका ने असत्य एवं भूठा प्रतिवेदन दिया है कि 11:45 बजे केन्द्र का निरीक्षण 28.6.2012 को किया है जो पूर्णतः संदेहास्पद है, एवं एक दुसरे का विरोधाभासी है। अतः जिला प्रोग्राम पदाधिकारी का चयन मुक्त आदेश गलत है।

इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता ने अपना पक्ष

रखते हुए बताया कि यह निश्चित बातें है कि केन्द्र का निरीक्षण 28.6.2012 को हुआ अब प्रश्न यह है कि निरीक्षण सुश्री प्रगति आनंद ने किया था या सरीता कुमारी राय महिला पर्यवेक्षिका ने किया निरीक्षण तो हुआ ही केन्द्र बंद पाया गया बच्चों की उपस्थिति कभी 10 तो कभी 13 दर्शाया गया है।, मीनु चार्ट, फ्लैक्सी बोर्ड नहीं थे। लाभुको को दिए जाने वाली समाग्री की मात्रा की सूची प्रदर्शित नहीं थी, सेविका ने खुद स्वीकार की है कि T.H.R वितरण में कम मात्रा में अनाज लाभुक को दिए जाते है, क्योकि बाजार दर से कम दर पर विभाग से राशि मिलती है, फिर अन्य केन्द्रों पर तो ऐसी बाते नहीं मिलती है, चूँकि सभी केन्द्र में एक समान राशि सरकार द्वारा उपलब्ध की जाती है, अतः सेविका का क्रियाकलाप असतोषप्रद व उदासीन है,सेविका काम के प्रति सचेष्ट नहीं रहती है सेविका/सहायिका लाभुक बच्चों पर सही ढ़ग से नियंत्रण व पर्यवेक्षण नहीं रखती है। जिसके कारण लाभुक बच्चों द्वारा फ्लैक्सी बोर्ड, मीनु चार्ट को बच्चों द्वारा नष्ट कर दिया गया है। सेविका द्वारा लाभुक बच्चों की उपस्थिति पंजी भी जाँच तिथि का प्रस्तुत नहीं किया गया।

उपरोक्त विवेचनाओं एवं निष्कर्षो के आधार पर यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि यह सही बातें है कि दिनांक 28.6.2012 को निरीक्षण हुआ। समय 11:45 एवं 12:10 बजे का है , बच्चों की संख्या अधिकतम 10 से 13 बीच का दर्शाया जाता है फ्लैक्सी बॉर्ड, मीनु चार्ट, लाभुक की सूची प्रदर्शित न रहना भी सेविका की अक्षमता को प्रदर्शित करता है, T.H.R कम मात्रा में देना भी गंभीर बातें है जो किसी भी स्थिति में सही नहीं है। बल्कि दंडनीय है। अतः यह न्यायालय विभागीय मार्गदर्शिका के पत्रांक 956 दिनांक 14.3.2012 के कंडिका 1 के क्रमांक (2) प्रर्याप्त कारण में बच्चों की संख्या 15 से कम पाये जाने की स्थिति एवं उसी कंडिका 1–(4) पर दिए जाने वाली लाभुको को साम्रगी का मात्रा कर prominent Display नहीं पाये जाने कि स्थिति तो सेविका को चयन मुक्त कार्रवाई की जायेगी। तो अतः निम्न न्यायालय का आदेश सही प्रतीत होता है, इसमें राहत की आवश्यकता नहीं है। वाद की समाप्ति की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल सहरसा

21.1.2015

उप निदेशक कल्याण
कोशी प्रमंडल, सहरसा